

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12(8)राज/वाद/24

जयपुर दिनांक: 13/08/26

--- आदेश ---

श्री सज्जन सिंह राठौड़, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर से प्राप्त उनके पत्र क्रमांक AAG/2026/09 दिनांक 10.08.2026 के क्रम में उनकी सहायतार्थ, निम्नांकित सारणी के कॉलम संख्या-02 में वर्णित अधिवक्ता को उनके सम्मुख कॉलम संख्या-04 में वर्णित दिनांक से उनके जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है--

क्र.सं.	अधिवक्ता का नाम	पंजीयन क्रमांक	पत्र दिनांक/दिनांक, जिससे कार्य किये जाने की सहमति दी जानी है।
01	02	03	04
1.	सुश्री प्रियंका राठौड़	आर/959/2025	10.08.2026

सामान्य शर्तें, अनुबन्ध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार है:-

1. जूनियर अधिवक्ता के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर को प्रकरण में देय उपस्थिति फीस की 20 प्रतिशत राशि इस विभाग के आदेश क्रमांक 12(3) राज/वाद/18 पार्ट दिनांक 08.08.2026 के अनुसार देय होगी।
2. वह (जूनियर अधिवक्ता) किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों को ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हों।
3. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय समय पर जारी सेवा शर्तों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

ह
(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिनर्त्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राज0।
4. सम्बन्धित अतिरिक्त महाधिवक्ता।
5. सम्बन्धित अधिवक्ता।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7. सहायक लेखाधिकारी-I, वादकरण।
8. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
- ✓ 9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।


(महेश पुनेठा) 13/08/26
विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)